न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास जिला अलवर

अध्यासित द्वारा :– ओमप्रकाश सहारण (आर.ए.एस.)

मु.न.	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
110 / 21	03.09.2021	04.12.2021

उनवान

1. निज्जर खां पुत्र नबीला जाति मेव निवासी बाघोडा तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज.

:– वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार , लैण्ड होल्डर , किशनगढबास जिला अलवर राज.

:– प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2021

....

उपस्थितिः–

1. श्री लेख राम वकील वादीगण की और से।
2. प्रतिवादी की और से पैरोकार सरकार

–:निर्णयः–

वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का सुक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से हैः–

वकील वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम बाघोडा के आराजी खसरा नम्बर 928 / 0.30 हे., 1218 / 0.42 हे., कुल किता 2 रकबा 0.72 हे. का 1 / 2 भाग नबीखां पुत्र डून्ना मेव की अलौट शुद्वा गैर खातेदारी की आराजी थी हाल खसरा नम्बर 928 रकबा 1–04 बिस्वा साबिक खसरा नम्बर 795 रकबा 0–01, 792रकबा 1–03 से पैमूद हुआ है व हाल खसरा नम्बर 1218 / 1–14 साबिक खसरा नम्बर 1047 रकबा 1–13 बिस्वा वाके ग्राम बाघोडा से पैमूद हुआ है। आराजी उक्त का 1 / 2 भाग जरिये इकरारनामा दिनांक 2.11.2010 को खरीद किया हुआ है मिन वादी उक्त आराजी पर गत 30–40 सालो से निरन्तर काबिज काश्त करता चला आ रहा है।

जमाबन्दी सम्वत 2013–16 मे विकेता नबीखां पुत्र डून्ना खसरा नम्बर 1047 / 1–13 के बाबत डून्ना पुत्र चकमल मेव सा.देह मुर्तहन दर्ज किया हुआ है तथा 792 / 1–03 के बाबत बकाश्त डून्ना पुत्र चकमल मेव सा. देह दर्ज किया हुआ है तथा जमाबन्दी सम्वत 2066–69 मे नबीखां पुत्र डून्ना 1 / 2 हिस्सा सा. देह पटटेदार गैर खातेदार अंकित किया हुआ है ऐसी सूरत मे वादी राज्य सरकार के संशोधित नोटिफिकेशन दिनांक 30.03.2012 मे दिये गये प्रावधानो के अनुसार अवैध हस्तानान्तरण

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

प्रकरण के आधार पर नियमानुसार राशि जमा कराकर खातेदारी सनद जारी कराने का अधिकारी है अतः दावा इश्तकराहक घोषणा खातेदारी दायर करना लाजिम आया है।

अतः प्रार्थना है कि बाद तहकीकात वाद वादी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी निम्न प्रकार से डिकी फरमाया जावेः–

1. यह है कि डिकी इश्तकरारहक दुरूस्ती इन्द्राज पारित की जाकर करार दिया जावे कि वादी हाल आराजी खसरा नम्बर 928/0.30 हे., 1218/0.42 हे., कुल किता 2 रकबा 0.72 हे. का 1/2 भाग वाके ग्राम बाघोडा तहसील किशनगढबास पर बतौर खरीददार वादी काबिज वो दखिल है इसलिए वादी आराजी मुतनाजा पर अपना कब्जा सिद्व कराकर राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012 के अनुसार अवैध हस्तानान्तरण प्रकरण के आधार पर कीमत जमा कराकर सनद खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है तथा इस प्रकार घोषणा वादी कराने का अधिकारी है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी उपस्थित नही ।

पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 ग्राम पंचायत बाघोडा तहसील किशनगढबास मे पेश हुई । वकील वादी की बहस सुनी गई । वकील वादी ने वाद मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए वाद वादी को डिकी किये जाने की इश्तदुआ की। जमाबन्दी सम्वत 2066–69 के अवलोकन से आराजी उक्त के 1/2 नबीखां पुत्र डून्ना मेव सा. देह पटटेदार गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। राजस्व रिकार्ड मे दर्ज गैर खातेदार नबीखां पुत्र डून्ना मेव द्वारा जर्ये इकरारनामा दिनांक 02.11.2010 के द्वारा वादी निज्जर खां का विकय किया है नकल गिरदावरी सम्वत 2010–13 खसरा नम्बर 1047 मी रकबा 1 बीघा 0–13 मुन्शी मलहड राहिन डून्ना पि. चकमल मेव सा. देह मुर्तहन खुद का.मू. दर्ज रिकार्ड है। तथा खसरा गिरदावरी सम्वत 2014 के साबिक खसरा नम्बर 792 रकबा 1 बीघा 03 बिस्वा पर डून्ना पुत्र चकमल मेव सा. देह पटटेदार दर्ज रिकार्ड है। तथा तहसीलदार किशनगढबास के पत्र कमाक /राजस्व/21/710 दिनांक 04.12.2021 के द्वारा प्राप्त आराजी उक्त के 1/2 भाग पर निज्जर खां का कब्जा काश्त है चूकी राजस्व रिकार्ड के पटटेदार गैर खातेदार द्वारा आराजी उक्त के 1/2 हिस्से का बेचान जर्ये इकरारनामा दिनांक 02.11.2010 के द्वारा किया है मौके पर वादी का कब्जा काश्त काश्त है प्रकरण वादी मे आराजी उक्त का अवैध हस्तानान्तरण हुआ है इसलिए राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.03.2012 के अनुसार वादी कब्जा सिद्व करा खातेदारी अधिकार प्राप्त करना चाहता है वाद वादी कब्जा तहसीलदार रिपोर्ट से बाखूबी सिद्व होता है इसलिए हम राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012 के नियमितिकरण शुल्क एवं शास्ती जमा कराने पर हकूक खातेदारी प्राप्त करना उचित एवं न्यायसंगत समझते है न्याय एवं विधि का सिद्वान्त भी यही है। वाद वादी काबिले डिकी करार पाता है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

अतः आदेश है:-

वाद वादी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी आराजी खसरा नम्बर 928/0.30 हे., 1218/0.42 हे., कुल किता 2 रकबा 0.72 हे. का 1/2 भाग वाके ग्राम बाघोडा तहसील किशनगढबास तहसील किशनगढबास का खरीददार काबिल काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा वादी राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012 के अनुसार नियमितिकरण शुल्क एवं शास्ती जमा कोष कराने पर खातेदारी सनद जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज गैरखातेदार नबीखां पुत्र डून्ना हिस्सा 1/2 के नाम के अकंन को हजफ कर मुताबिक सनद खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिकी जारी हो। खर्चा वादीगण स्वयं वहन करेगे। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तकमिल दाखिल लेख भण्डार हो सुना गया।

(ओमप्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास जिला अलवर

अध्यासित द्वारा :— ओमप्रकाश सहारण (आर.ए.एस.)

मु.न.	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
110/21	03.09.2021	04.12.2021

पर्चाडिकी

उनवान

1. निज्जर खां पुत्र नबीला जाति मेव निवासी बाघोडा तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज.

:— वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार , लैण्ड होल्डर , किशनगढबास जिला अलवर राज.

:— प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2021

....

उपस्थितिः—

1. श्री लेख राम वकील वादीगण की और से।
2. प्रतिवादी की और से पैरोकार सरकार

वाद वादी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी आराजी खसरा नम्बर 928/0.30 हे., 1218/0.42 हे., कुल किता 2 रकबा 0.72 हे. का 1/2 भाग वाके ग्राम बाघोडा तहसील किशनगढबास तहसील किशनगढबास का खरीददार काबिल काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा वादी राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012 के अनुसार नियमितिकरण शुल्क एवं शास्ती जमा कोष कराने पर खातेदारी सनद जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज गैरखातेदार नबीखां पुत्र डून्ना हिस्सा 1/2 के नाम के अकंन को हजफ कर मुताबिक सनद खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

(ओमप्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)